

राज्य प्रशासकीय पदाधिकारी
(सामान्य प्रशासन विभाग)



3/एम०-71/2009सा०

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

श्री अतिरिक्त
01/10/11

विषय:- राज्य के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के स्थापना तथा मुफस्सिल स्थापना के Common Category के समूह 'घ' के विभिन्न पदों के पदनाम में परिवर्तन।

छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा समूह 'घ' के कर्मियों को उच्चतर वेतनमान स्वीकृत करने एवं बदलते परिवेश के अनुरूप उनकी कार्यकुशलता को विकसित कर वर्तमान में कर्णाकित कर्तव्य के अतिरिक्त उन्हें अन्य बहुआयामी कार्यों के योग्य बनाने का निर्णय लिया गया है।

2. केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी समूह 'घ' के सभी 10वीं अनुत्तीर्ण कर्मियों को उत्कृष्ट वेतनमान स्वीकृत किया गया है तथा समूह 'घ' के अन्य सभी 10वीं अनुत्तीर्ण कर्मियों को भी प्रशिक्षणोपनात उक्त उत्कृष्ट वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समूह 'घ' के कर्मियों को व्यावहारिक एवं क्षमता विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण देकर उनके कार्य स्तर में उन्नयन करने एवं उनसे अन्य

बहुआयामी कार्य, यथा- फोटो-गोपी कराने, फैंक्स कराने, कार्यालय एवं उसके उद्यानों की देख-रेख का कार्य कराने, कार्यालय एवं उसके उपस्करों को साफ कराने आदि सहित

कार्य, का भी विचार किया जा रहा है। इस हेतु योजन का दायित्व बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को सौंपा गया

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सचिवालय एवं संलग्न स्थापना तथा मुफस्सिल स्थापना के common category के समूह 'घ' के यथा अनुरोधी, आदेशपाल दपतरी, जमादार पिउन, जमादार अर्दली का त कर "कार्यालय परिचारी (Office Attendant)" किया जाय।

नामकरण तुरंत प्रभावी होगा तथा भविष्य में सचिकाओं के निष्पादन एवं त पदों को 'कार्यालय परिचारी' (Office Attendant) नाम से ही संबोधित

1319
29/9/11

अतिरिक्त

अतिरिक्त
अतिरिक्त
अतिरिक्त
अतिरिक्त
अतिरिक्त

अतिरिक्त
22.12.11
अतिरिक्त

प्रशिक्षण के उ
है।
3. अ
कार्यालयों के
विभिन्न पदों,
पदनाम परिवर्
4. य
पत्राचार में उ
किया जायेगा

55

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ महाधिवक्ता का कार्यालय/ बिहार लोक सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -3/एम०- 71 /2009सा० 2916/ पटना-15, दिनांक 16-9-2011

प्रतिलिपि- सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -3/एम०- 71 /2009सा० 2916/ पटना-15, दिनांक 16-9-2011

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/ बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 55-1/सा.दिनांक 11-X-2011
प्रतिलिपि - सभी कार्यालय प्रधान मन्त्रीपुरा जिला को
सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मिला (संयुक्त रूप) किताबों
रखें।

2/10/11

11-X-2011